UPHR010036342026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, हरदोई।

उपस्थित– रीता कौशिक, (उच्चतर न्यायिक सेवा)

(जे०ओ० कोड–यू०पी० 5728)

फौजदारी निगरानी संख्या–93/2026

अशोक कुमार पुत्र रामविलास, निवासी ग्राम इटौली पोस्ट टड़ियावां, थाना कोतवाली देहात, जनपद हरदोई। ----------**निगरानीकर्ता।**

बनाम

राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), जिला हरदोई।

----------**उत्तरदाता।**

निर्णय

1– यह दाण्डिक निगरानी धारा–438 बी०एन०एस०एस० के अन्तर्गत निगरानीकर्ता अशोक कुमार द्वारा प्रार्थनापत्र संख्या–60959/2025, मुकदमा अपराध संख्या–343/2025, अन्तर्गत धारा–281, 125(a), 125(b) बी०एन०एस०, थाना–कोतवाली देहात, जनपद–हरदोई के प्रकरण में न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदोई द्वारा पारित आदेश दिनांकित 08.12.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– संक्षेप में, निगरानी के तथ्य यह हैं कि प्रार्थी/निगरानीकर्ता की मोटरसाइकिल पंजीयन संख्या–U.P.30A.Z.0321, मुकदमा अपराध संख्या–343/2025, अन्तर्गत धारा–281, 125(a), 125(b) बी०एन०एस०, थाना–कोतवाली देहात, जनपद–हरदोई के मामले में निरूद्ध है। उक्त वाहन को निर्मुक्त किये जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश दिनांकित 08.12.2025 में प्रार्थनापत्र उत्तर प्रदेश मोटरयान (11 वां संशोधन) नियमावली 1998 के नियम 203(ख)(2) के अनुसार घटना की तिथि पर प्रयुक्त ड्राइविंग लाइसेंस एवं बीमा को प्रस्तुत न करने और न ही उनका सत्यापन होने के कारण निरस्त कर दिया गया, जिससे क्षुब्ध होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

3– निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी पर बल देते हुए तर्क प्रस्तुत किये गये है कि वाहन क्षतिग्रस्त होने की वजह से थाना की पुलिस ने उठाकर थाना पर खड़ा कर लिया है, जो खुले में खड़ा है। विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 08.12.2025 को प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया गया। तब प्रार्थी ने दिनांक 15.04.2026 को द्वितीय प्रार्थनापत्र दिया, जो दिनांक 17.04.2026 को विद्वान विचारण न्यायालय ने यह कहके कि पुनः उन्हीं आधारों पर नवीन प्रार्थनापत्र पोषणीय नहीं है और प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया, जो अन्दर मियाद है। धन की कमी की वजह से समय से वाहन कै बीमा

Digitally signed by REETA KAUSHIK
Date: 2026.08.29 11:04:02 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

नहीं करा सका था। प्रार्थी/निगरानीकर्ता ने अब वाहन उपरोक्त का बीमा भी करा लिया है। प्रार्थी/रिवीजनकर्ता वाहन नहीं चला पाता है तथा घटना दिनांक को गाड़ी के पीछे बैठा था। दिनांक घटना प्रार्थी के वाहन को प्रेम कुमार पुत्र शम्भूदयाल, निवासी गुरूगुज्ञा, थाना कोतवाली शहर, जनपद हरदोई चला रहा था, जो एक कुशल ड्राइवर है एवं लंबे समय से वाहन चलाता आ रहा है तथा प्रेम कुमार के पास वैध ड्राइविंग लाइसेस है, जो संलग्न है। प्रार्थी/रिवीजनकर्ता किसी भी समय अगर क्लेम होता है तो प्रार्थी/रिवीजनकर्ता उसमें उपस्थित रहेगा एवं जो भी क्लेम होगा उसका भुगतान करेगा। प्रार्थी/रिवीजनकर्ता घटना का स्वयं चोटहिल, पीड़ित व वादी मुकदमा है। अतः वाहन को निर्मुक्त किये जाने की याचना की गयी है।

4– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा निगरानी का विरोध किया गया है।

5– मैंने निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

6– पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि मुकदमा अपराध संख्या–343/2025, अन्तर्गत धारा–281, 125(a), 125(b) बी०एन०एस०, थाना–कोतवाली देहात, जनपद–हरदोई में वाहन निरूद्ध होना कथित है तथा घटना के समय वाहन का बीमा व चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस न होने के कारण निगरानीकर्ता/आवेदक का वाहन रिलीज प्रार्थनापत्र अवर न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है। उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली के अन्तर्गत पीड़ित व्यक्ति यदि कोई हो तो उसको प्रतिपूर्ति के भुगतान हेतु पर्याप्त प्रतिभू लेकर वाहन निर्मुक्त किया जा सकता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय सिक्योरिटी लेकर वाहन को निर्मुक्त कर सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 08.12.2025 निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 08.12.2025 निरस्त किया जाता है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ इस निर्देश के साथ वापस प्रेषित की जाती है कि वह वाहन निर्मुक्ति हेतु पूर्व में पारित आदेश दिनांकित 08.12.2025 से प्रभावित हुए बिना पुनः वाहन निर्मुक्ति के संबंध में विधि अनुसार आदेश पारित करे।

(रीता कौशिक)

दिनांकः 26.08.2026 सत्र न्यायाधीश,

हरदोई।

निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रीता कौशिक)

दिनांकः 26.08.2026 सत्र न्यायाधीश,

हरदोई।